भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2343

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

संधारणीय होमस्टे पर्यटन की रूपरेखा

†2343. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नीति आयोग की "होमस्टे पर पुनर्विचारः नीतिगत मार्ग निर्धारित करना" शीर्षक वाली रिपोर्ट का उद्देश्य पर्यटन के संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और होमस्टे की आर्थिक, सांस्कृतिक और उद्यमशील क्षमता का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए विनियमों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु राज्यों के लिए कोई रूपरेखा तैयार करना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए जाने की योजना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): जी हां, “होमस्टे पर पुनर्विचारः नीतिगत मार्ग निर्धारण” पर नीति आयोग की रिपोर्ट का उद्देश्य ऐसे कार्यढांचे को आगे बढ़ाना है जिसे राज्य विनियमों में तालमेल बिठाकर अपना सकते हैं और एक समावेशी होमस्टे पारिस्थितिकी प्रणाली स्थापित कर सकते हैं जिससे सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा मिल सके।

इस रिपोर्ट में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं उपलब्ध हैं। उक्त रिपोर्ट में प्रस्तावित विशिष्ट उपाय **अनुबंध** में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा संधारणीय होमस्टे पर्यटन की रूपरेखा के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2343 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

"होमस्टे पर पुर्नविचारः नीतिगत मार्ग निर्धारण" रिपोर्ट में होमस्टे सेक्टर के लिए प्रस्तावित अनुशंसाएं:

1. नियंत्रण के विभिन्न घटकों पर पूरे भारत से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:

भारत में वैकल्पिक आवास, विशेष रूप से होमस्टे के लिए प्रचालित परिस्थितिकी तंत्र एक विविध नियामक परिदृश्य के अंदर कार्य करता है जहां राज्यों ने संचालन में आसानी और शासन को संतुलित करने के लिए रूपरेखा तैयार की है। कई राज्यों ने पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है और अनुपालन सुनिश्चित करते हुए होमस्टे विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन शुरू किए है।

उदाहरण के लिए **गोवा** ने होमस्टे पंजीकरण के लिए केवल तीन आवश्यक दस्तावेज़ों - स्वामित्व का प्रमाण, आवेदन की पहचान और जीएसटी पंजीकरण (यदि लागू है) की अपेक्षा के कारण नौकरशाही की बाधाओं को काफी कम कर दिया है। राज्य एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक निर्बाध डिजीटल पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। जिसमें पंजीकरण के लिए पांच साल की वैधता अवधि होती है और नवीनीकरण के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती है।

केरल कोरम-आधारित आकलन द्वारा एक संरचित लेकिन सक्षम सत्यापन प्रक्रिया का अनुपालन करता है। जिला पर्यटन अधिकारी सहित छह में से चार प्राधिकृत अधिकारियों की एक टीम संपत्ति का निरीक्षण करती है और आवश्यक एनओसी जारी करती है।

होमस्टे के वर्गीकरण के लिए **छत्तीसगढ़** में दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में संगत लचीलेपन के साथ विरासत, शहरी गांव/वन और आदिवासी होमस्टे जैसी विभिन्न श्रेणियों के साथ कार्यात्मक वर्गीकरण प्रदान करता है।

दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अतुल्य भारत) बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम 2007 के अधीन बीएंडबी को आवासीय इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह व्यवस्था ऑपरेटरों को अतुल्य भारत बीएंडबी दिशानिर्देशों के अधीन नामित पंजीकरण के साथ-साथ कम बिजली, पानी और संपत्ति कर दरों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

अन्य राज्यों ने भी अपने संबंधित होमस्टे प्रोत्साहनों के संमिलन को व्यापक नीतिगत पहलों में एकीकृत किया है। **मेघालय** प्रचालकों को राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के लिए सब्सिडी को संयोजित

करने का अवसर प्रदान करता है। जबकि **गुजरात** प्रचालकों को अपने राज्य सोलर मिशन और अन्य नीतियों से लाभ उठाने की अनुमति देता है। जिससे इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलता है। **महाराष्ट्र** ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए एक क्षेत्र आधारित वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की है। जो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने के लिए संपत्ति के स्थान से प्रोत्साहन को जोड़ती है। जबकि **उत्तराखंड** पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप एक संरचित, चरण-वार प्रोत्साहन कार्यक्रम अपनाता है। जिससे राज्य के सभी भागों में समान विकास सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा सतत और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ाने के लिए **केरल** ने 2008 में जिम्मेदार पर्यटन मिशन की शुरुआत की जो बेहतर आर्थिक लाभ और स्थानीय लोगों और समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने की अकांक्षा रखता है। इसके प्रमुख पहलू प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विश्व की विविधता का संरक्षण है। **गोवा** पारिस्थितिकी तंत्र, समुदायों और संस्कृतियों को पुनर्जीवित करने और एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए पर्यटन मास्टर प्लान के साथ-साथ होमस्टे और बीएंडबी के द्वारा पुनर्योजी पर्यटन को भी प्राथमिकता देता है।

2. होमस्टे के लिए एक मॉडल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं:

इन सफल तरीकों को आगे बढ़ाते हुए, एक मॉडल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव है जिसे राज्य अपनाकर नियमों में तालमेल बिठा सकते हैं और होमस्टे के लिए एक ज़्यादा मज़बूत और सबको साथ लेकर चलने वाला इकोसिस्टम बना सकते हैं। इस फ्रेमवर्क में प्रक्रिया को आसान बनाने, ज़्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने और पर्यटन की लगातार बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए विशेष हिस्से शामिल हैं।

2.1 व्यापार में सुगमता:

क. पंजीकरण और नवीनीकरण: पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है, जिसमें सिर्फ़ ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे स्वामित्व का प्रमाण, आवेदक की पहचान और जीएसटी पंजीकरण (अगर लागू हो, तो लिमिट के आधार पर) की ज़रूरत होगी। नवीनीकरण के लिए, संबंधित जगह के नवीनीकरण आवेदन को ज़रूरी शुल्क के भुगतान पर आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कोई और दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी। नौकरशाही रुकावटों को कम करने और गैर-ज़रूरी कदमों को खत्म करने पर ध्यान दिया जा सकता है।

ख. होमस्टे पंजीकरण के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाएं: प्रक्रिया को आसान बनाने और देरी को कम करने के लिए पर्यटन, पंचायत, राजस्व सुविधाओं जैसे खास विभागों में स्वीकृति मिलने के लिए एक एकीकृत, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा सकता है। सत्यापन से पहले अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं, जिससे होमस्टे ज़रूरी निरीक्षण होने तक काम शुरू कर सकें। इसके अलावा, पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए अंतर-विभागीय तालमेल को मज़बूत किया जा सकता है।

ग. समानुपातिक पंजीकरण शुल्क: शुल्क और नियमों का पालन करने की ज़रूरतें होमस्टे के साइज़ और कैटेगरी के हिसाब से यथोचित और समानुपातिक हो सकती हैं, जिससे छोटे ऑपरेटरों के लिए वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी।

घ. प्रक्रिया में सुगमता: आवेदन के निपटारे की टाइमलाइन 30 दिन तक सीमित की जा सकती है, जिससे पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्दी हो सके, जिससे सर्विस डिलीवरी बेहतर हो और देरी कम हो। इसके अलावा, अगर संबंधित पर्यटन विभाग तय समय में कोई फैसला नहीं ले पाता है, तो आवेदन को अपने आप स्वीकृत माना जा सकता है ताकि बेवजह की प्रशासनिक दिक्कतों को रोका जा सके।

ङ. सेंट्रल नोडल एजेंसी की स्थापना: नीति कार्यान्वयन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, मार्केटिंग और संसाधन वितरण सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग हितधारकों के बीच तालमेल सुसाध्य बनाने के लिए और विभागों के मध्य संचार को आसान बनाने के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना।

2.2 होमस्टे के सुव्यवस्थित प्रचालन के लिए डिजिटलीकरण:

क. पंजीकरण और अनुपालन के लिए एक डिजिटल पोर्टल का विकास: होमस्टे पंजीकरण, नवीनीकरण और अनुपालन प्रबंध के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा सकता है। यह पोर्टल प्रचालक को दस्तावेज़ जमा करने, आवेदनों को ट्रैक करने और नीति अद्यतन और नवीनीकरण अनुस्मारक अनुमति प्रदान कर सकता है।

ख. घोषणा प्रणाली लागू करना: प्रशासनिक बोझ को कम करना और कार्य करने में आसानी बढ़ाना के लिए, होमस्टे ऑपरेटरों को आवश्यक एनओसी प्राप्त करते समय और निरीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक डिजिटल पोर्टल के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्व-घोषणा करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रशासनिक अधिभार को कम करने के लिए एक यादृच्छिक निरीक्षण तंत्र शुरू किया जा सकता है।

2.3 होमस्टे द्वारा गंतव्य प्रबंधन और संवर्धन: यह नीति राज्य भर में पर्यटन में विविधता लाने के लिए होमस्टे क्षेत्र को एक प्रमुख अवयव के रूप में एकीकृत करके कम ज्ञात लक्ष्यों को विकसित करने और बढ़ावा देने पर जोर दे सकती है। इसके अलावा, एक प्रमुख प्राथमिकता विशिष्ट, इमर्सिव अनुभवों का निर्माण हो सकती है जो आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक गंतव्य के अद्वितीय चरित्र से जुड़े होते हैं।

क. लक्षित विपणन अभियान: राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सहयोगात्मक विपणन पहल और प्रचार अभियान अविकसित क्षेत्रों की अनूठी पेशकशों को उजागर कर सकते हैं, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है कि कैसे होमस्टे प्रामाणिक, समुदाय-संचालित यात्रा, यात्रा अनुभव प्रदान कर सकते हैं जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों आगंतुकों को आकर्षित करते हैं।

निम्नलिखित विपणन रणनीति पर विचार किया जा सकता है:

i. दृश्यता बढ़ोतरी और विशेष गंतव्य के लिए बुकिंग ड्राइव के लिए ओ.टी.ए. और यात्रा, कंपनियाँ के साथ सहयोग करके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना।

ii. व्यापक दर्शक पहुंच और जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष लक्ष्य से जुड़े स्थानीय अनुभवों, विरासत और इमर्सिव प्रवास को प्रदर्शित करने के लिए यात्रा, प्रभावित करने वालों और सामग्री निर्माताओं के साथ जुड़ाव।

iii. राज्य पर्यटन की वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रतिष्ठानों, दुकानों, मुद्रित प्रचार सामग्री और यात्रा, यात्रा करना बाजारों और प्रदर्शनियों आदि में ब्रोशर सहित आधिकारिक विपणन चैनलों में पंजीकृत होमस्टे का एकीकरण।

ख. अनुभवात्मक पर्यटन और समुदायिक भागीदारी: राज्य की नीतियां अनुभवात्मक पर्यटन मॉडल के विकास, वृद्धि को प्राथमिकता दे सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आगंतुकों के पास आकर्षक गतिविधियाँ हों-जैसे कि निर्देशित सांस्कृतिक अनुभव, कार्यशालाएं और साहसिक मार्ग-ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि होमस्टे आवास की सुविधा के अलावा प्रामाणिक और समृद्ध पर्यटन अनुभव प्रदान करते हैं।

ग. एंकर हब और थीमैटिक सर्किट विकास: राज्य सरकारें एक रणनीतिक एंकर हब और थीमैटिक सर्किट विकास के द्वारा प्रमुख प्रदेशों में मांग को प्रोत्साहित करके पर्यटन प्रस्तावों में विविधता ला सकती हैं। यह दृष्टिकोण स्थापित करता है:

i. विभिन्न पर्यटन अनुभव प्रदान करने और आसपास के प्रदेशों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करने की क्षमता वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में एंकर हब, जिसमें होमस्टे आगंतुक अनुभव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ii. विषयगत परिपथ जो आध्यात्मिक, संस्कृति, रोमांच, कल्याण, पारिस्थितिकी पर्यटन आदि जैसे साझा विषयों के आधार पर होमस्टे के द्वारा कई गंतव्यों को जोड़ते हैं। इन परिपथों को अद्वितीय अनुभवों के इर्द-गिर्द बनाया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यात्रियों का इस प्रदेश से गहरा संबंध बन सके।

2.4 प्रोत्साहन:

क. गंतव्य-केंद्रित वित्तीय प्रोत्साहन: वित्तीय प्रोत्साहन केवल वैयक्तिक आवाससुख-सुविधाएँ अथवा वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गंतव्य स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने पर आधारित हो सकते हैं। यह संचालकों को क्षेत्रीय विकास, वृद्धि में योगदान करने और कम सुख-सुविधाएँ वाले क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित करेगा। एक स्तरीय प्रोत्साहन पहुँच का उपयोग किया जा सकता है।

i. **टियर 1 गंतव्य:** तत्काल पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों को विकास, वृद्धि और प्रचार समर्थन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

ii. **टियर 2 गंतव्य:** दीर्घकालिक क्षमता वाले माध्यमिक क्षेत्रों को चरणबद्ध प्रोत्साहन और विपणन सहायता मिलनी चाहिए।

ख. गैर-वित्तीय प्रोत्साहन:

i. **परियोजना सहायता संगठन (पीएसओ):** विशेष रूप से ग्रामीण अथवा दूरदराज के क्षेत्रों में होमस्टे ऑपरेटरों का समर्थन करने के लिए पीएसओ की शुरुआत की जा सकती है। ये संगठन तकनीकी सहायता, परियोजना प्रबंध विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन, निर्देशन प्रदान करेंगे ताकि नए होमस्टे ऑपरेटरों को सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय शुरू करने और भरण-पोषण में मदद मिल सके।

ii. **आवासीय उपयोगिता वर्गीकरण:** होमस्टे को उपयोगिता उद्देश्यों के लिए आवासीय इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे पानी, बिजली और संपत्ति करों के लिए आवासीय दरों तक पहुँच सुनिश्चित होती है। इससे होमस्टे की वित्तीय धारणीयता में वृद्धि होगी।

iii. **क्षमता निर्माण:** राज्य पर्यटन विभागों को क्षमता निर्माण सत्र और होमस्टे बिजनेस शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए निजी उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये पहल जानकारी के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान कर सकती हैं, नेटवर्किंग और सहयोग के अवसर प्रदान कर सकती हैं, और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले होमस्टे से सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदान कर सकती हैं।

2.5 जागरूकता बढ़ाना:

i. **सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी.) अभियान:** होमस्टे पंजीकरण, अनुपालन दिशा-निर्देशों और उपलब्ध नीतिगत लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना के लिए एक राष्ट्रीय आई.ई.सी. रणनीति शुरू की जा सकती है।

ii. **स्थानीय सुविधा केंद्र:** विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, पंजीकरण, अनुपालन प्रक्रियाओं और वित्तीय और तकनीकी सहायता तक पहुँच के साथ होमस्टे ऑपरेटरों की सहायता के लिए समर्पित सुविधा केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

2.6 होमस्टे क्लस्टरों का निर्माण:

उच्च मूल्य के अनुभवात्मक पर्यटन उत्पादों का निर्माण करने के लिए स्थानीय संसाधनों और मौजूदा बुनियादी ढांचा ढांचे का लाभ उठाकर समुदायों के भीतर होमस्टे क्लस्टरों के निर्माण को बढ़ावा देना। यह पहुँच सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरण प्रबंधन और आर्थिक विविधीकरण के द्वारा दीर्घकालिक व्यावहारिकता को संवर्धन करना इन समूहों की धारणीयता को भी प्राथमिकता दे सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये समूह आगंतुकों और मेजबान समुदायों के लिए लचीले और फायदेमंद रहें।

*****